कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति,
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग

सत्र 2018–19

- मध्यप्रदेश स्थित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में संचालित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथाः– बीई, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, एम.ई./एम.टेक., एम.फार्मा., होटल मैनेजमेंट इत्यादि में प्रवेश की कार्यवाही केवल ऑनलाईन ऑफ कैम्पस के माध्यम से की जाती है।
- ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग जून के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ होना संभावित।
- प्रदेश में स्थित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रदेश के मूल निवासियों के साथ–साथ अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों के लिये भी सीटें उपलब्ध है।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से ही संपादित की जाती है, संस्थायें सीधे प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

प्रवेश हेतु आधार नंबर अनिवार्य

शैक्षणिक सत्र 2018–19 में संचालित की जाने वाली प्रवेश प्रक्रिया में आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है; अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग में भाग लेने से पूर्व अपना आधार पंजीकरण करवाकर आधार नंबर प्राप्त कर लें ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

काउंसलिंग से संबंधित समस्त जानकारी प्रवेश नियम, सहायता केन्द्रों की सूची, पाठ्यक्रमवार संस्थाओं की सूची, काउंसलिंग समय सारणी एवं अन्य जानकारी वेबसाइट **dte.mponline.gov.in & dtempcounselling.org** पर उपलब्ध है। संस्थाओं की शुल्क संबंधी जानकारी (फीस) **www.afrcmp.org** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग प्रक्रिया एंड्रायड फोन पर **mpmobile app download** कर डीटीई काउंसलिंग को **Select** कर संपन्न की जा सकती है।

संपर्क फोन नंबर **(0755) 4036802, 2660441**

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश